पत्र पेटेंट अपील

मुख्य न्यायधीश हरबंस सिंह, और न्यायधीश आर.एस. नरूला, के समक्ष

उषा, - अपीलकर्ता

बनाम

सुधीर कुमार, -प्रतिवादी।

पत्र पेटेंट अपील संख्या 1999 ऑफ 1969।

8 मार्च , 1971.

हिन्दू विवाह अधिनियम (1955 का XXV)-धारा 24, 26 और 28- मुकदमे के दौरान भरण-पोषण और मुकदमेबाजी व्यय-न्यायालय-क्या अनुदान न देने का विवेकाधिकार है- ऐसे भत्ते और व्यय की मात्रा का निर्धारण -के लिए मानदंड- कहा गया-बच्चे के लिए पेंडेंट लाइट भत्ता-क्या दावा किया जा सकता है- पत्नी को भत्ता दिया जाना-क्या पति की आय के पांचवें हिस्से के करीब होना चाहिए--भरण-पोषण जिसके लिए एक पत्नी अन्यथा हकदार पाई जाती है -क्या उसके माता-पिता के साथ रहने के आधार पर इसे कम किया जा सकता है।

यह निर्धारित किया गया कि यद्यपि मुकदमेबाजी के खर्च और मुकदमे के दौरान भरण-पोषण की मात्रा के निर्धारण के मामले में, विवेक का एक अच्छा हिस्सा ट्रायल कोर्ट के अधीन है, फिर भी जहां तक भरण-पोषण भत्ता और मुकदमेबाजी खर्च देने का सवाल है, व्यावहारिक रूप से कोर्ट के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। यदि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही में यह पाया जाता है कि धारा 24 के तहत आवेदक के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है आवेदक के समर्थन और कार्यवाही के आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त, न्यायालय को आम तौर पर ऐसे पति या पत्नी के आवेदन पर प्रतिवादी को आवेदक को कार्यवाही के खर्च और उचित मासिक भत्ते का भुगतान करने का आदेश देना चाहिए। हालाँकि धारा 24 में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है" है, यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होगा कि कोई न्यायालय, यदि इस तरह के भत्ते के अनुदान के लिए पूर्ववर्ती शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हैं, उस प्रावधान के तहत किसी आवेदन को स्वीकार करने से इंकार कर देगा, । (पैरा 4).

यह निर्धारित किया गया कि, मात्रा के निर्धारण के मामले में, एक तरफ मुकदमेबाजी खर्च और दूसरी तरफ रखरखाव भत्ते के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जहां तक मुकदमेबाजी के खर्चों का सवाल है, अदालत को आम तौर पर "कार्यवाही के खर्चों" के भुगतान का निर्देश देना चाहिए और ऐसे खर्चों के बारे में अदालत के अपने विचार का कोई सवाल ही सामने नहीं आता है। ऐसे खर्चों के सवाल पर भी फैसला करते समय, न्यायालय से, हालांकि, आवेदक द्वारा सुझाए गए किसी भी आंकड़े से प्रभावित होने की उम्मीद नहीं की जाती है। ट्रायल कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह कोर्ट फीस, न्यायिक कागजात की लागत, टाइपिंग खर्च, प्रक्रिया शुल्क और गवाहों के लिए आहार राशि, कमीशन शुल्क, कुछ चिकित्सा या अन्य विशेषज्ञ की फीस के लिए आवश्यक खर्चों की राशि को जाने। ऐसे मामलों में अभियोजन या बचाव करने के लिए उस विशेष न्यायालय में वकील द्वारा ली जाने वाली सामान्य फीस के आधार पर ऐसे गवाह की जांच की जानी चाहिए। एक बार जब न्यायालय को पता चलता है कि

आवेदक के पास कार्यवाही के आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो उसके पास मुकदमेबाजी खर्चों की उचित राशि की तर्कसंगतता का निर्धारण करने के मामले में कोई विवेक नहीं है। (पैरा 4).

यह निर्धारित किया गया कि मासिक भरण-पोषण भत्ते की राशि मुकदमेबाजी खर्चों की तरह किसी भी कठोरता के साथ तय नहीं की जा सकती। धारा 24 में ही न्यायालय को प्रावधान के दौरान मासिक भुगतान के लिए निर्देश देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह को ध्यान में रखते हुए उचित मानता है। याचिकाकर्ता की अपनी आय और प्रतिवादी की आय"। इससे पता चलता है कि वैधानिक प्रावधान के अनुसार प्रतिवादी की आय के किसी निश्चित अनुपात पर पहुंचने के लिए न्यायालय को कोई गणितीय गणना करने की आवश्यकता नहीं है। मासिक भत्ता तय करने के मामले में, पहली बात जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या ऐसे भत्ते के लिए आवेदक के पास अपने स्वयं के समर्थन के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय है या नहीं। यदि न्यायालय को पता चलता है कि आवेदक के पास अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय है, तो उसके पास धारा 24 के तहत कोई भरण-पोषण भत्ता देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एक बार, हालाँकि, यह पाया गया कि आवेदक को धारा 24 के तहत उसके समर्थन के लिए कोई स्वतंत्र आय पर्याप्त नहीं है, तो अदालत को मासिक भत्ते की मात्रा तय करने के लिए जांच शुरू करनी चाहिए: उस उद्देश्य के लिए, सबसे पहली चीज जो देखी जानी चाहिए वह प्रतिवादी की आय है। आवेदक के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए प्रतिवादी की सकल आय को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। भरण-पोषण की राशि की गणना के मामले में सकल आय को एक तरफ छोड़ना होगा और जिस बात को ध्यान में रखना है वह प्रतिवादी की प्रयोज्य आय है। प्रयोज्य आय सकल आय से केवल व्यय की ऐसी वस्तुओं को घटाकर निकाली जाती है जिन पर प्रतिवादी का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है जैसे कि प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर आदि। पत्नी को भरण-पोषण के लिए देय राशि की गणना करने से पहले केवल अनिवार्य जमा की कटौती की जानी चाहिए, न कि स्वैच्छिक भुगतान जैसे बीमा प्रीमियम और भविष्य निधि में योगदान आदि की। जैसे ही पति की प्रयोज्य आय निर्धारित हो जाती है न्यायालय यह पता लगाना शुरू कर देता है कि इसमें से कितनी उचित राशि होनी चाहिए, जो पत्नी को कार्यवाही के दौरान अपना भरण-पोषण करने के लिए मिलनी चाहिए। उस राशि की गणना के लिए, कुछ खर्चों को उचित ठहराने के लिए पति की स्थिति को ध्यान में रखना होगा जो एक विशेष स्थिति के व्यक्तियों के लिए आवश्यक होंगे लेकिन किसी अन्य स्थिति के व्यक्ति के लिए अनावश्यक होंगे। इसी प्रकार, आवेदक की अन्य परिस्थितियों जैसे कि एक नवजात शिशु के भरण-पोषण की उसकी आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। (पैरा 5 और 7)।

यह निर्धारित किया गया कि अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान एक बच्चे के भरण-पोषण के लिए दावा किया जा सकता है और न्यायालय अधिनियम की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी कार्यवाही में ऐसे अंतरिम आदेश, समय-समय पर, जो नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में उनकी इच्छाओं के अनुरूप उचित हों और जहाँ भी संभव हो इसे पारित कर सकता है। भले ही धारा 26 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया हो और एक पत्नी धारा 24 के तहत एक आवेदन करती है और दावा करती है कि उसे अपने भरण-पोषण के लिए आवश्यक राशि में उसके नवजात बच्चे के लिए आवश्यकताओं का प्रावधान शामिल है, तो भी उस प्रावधान के तहत भत्ते की मात्रा तय करते समय संदेह के बिना इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। (पैरा 7)

इस अधिनियम की धारा 24 के तहत गुजाराभत्ता की मात्रा पति की आय के पांचवें हिस्से के बराबर तय करना आवश्यक नहीं है। अधिनियम के किसी भी प्रावधान में आवेदक को भुगतान की जाने वाली भरण-पोषण राशि की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 24 के तहत पति या पत्नी को स्वीकार्य भरण-पोषण की मात्रा पर ऐसी सीमा लगाने का कोई औचित्य नहीं है। (पैरा 8)

यह निर्धारित किया गया कि माता-पिता पर अपनी विवाहित बेटियों का भरण-पोषण करने का कोई दायित्व नहीं है। एक पत्नी जो अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान अपने पति के साथ रहने में असमर्थ है, उससे गुजारा भत्ता के दावे को सही ठहराने के लिए सड़क पर रहने की उम्मीद नहीं की जाती है, जिसमें आम तौर पर एक उचित राशि जो कुछ आश्रय खोजने के लिए उसे खर्च करनी पड़ती है, शामिल होनी चाहिए। अदालतों को इस तथ्य को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कुछ असाधारण मामलों को छोड़कर एक हिंदू पत्नी आम तौर पर कभी भी अपने पति का घर नहीं छोड़ती है और अपने वैवाहिक घर को छोड़ने के बाद कभी भी अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छा नहीं रखती है। इस प्रकार, जो पत्नी अन्यथा हकदार पाई जाती है, उसे इस आधार पर गुजारा भत्ता कम नहीं किया जा सकता है कि वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है। (पैरा 11).

लेटर्स पेटेंट अपील, माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन द्वारा पारित दिनांक 21 फरवरी, 1969 के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील। 1969 का एफ.ए.ओ. संख्या 4-एम, श्री मन मोहन सिंह गुजराल, जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर, 1968 को संशोधित करते हुए (यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता अपना और बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए प्रति माह 300 रुपये की हकदार है । इसके अलावा, वह मुकदमे के खर्च के रूप में 1,000 रुपये की भी हकदार है। भरण-पोषण की राशि का भुगतान धारा 24 के तहत आवेदन की तारीख से किया जाना चाहिए और प्रतिवादी को सुनवाई के अगले दिन तक राशि जमा करनी चाहिए) इस हद तक कि प्रतिवादी मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 500 रुपए की राशि और रु. 200 प्रति माह रखरखाव पेंडेंट लाइट के रूप में रुपये का हकदार हो जाएगा। यदि पहले से ही भुगतान नहीं किया गया है, तो अपीलकर्ता को 21 फरवरी, 1969 से एक महीने के भीतर मुकदमेबाजी व्यय और रखरखाव राशि के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद रखरखाव राशि का भुगतान प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक किया जाएगा और पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से जी.सी. मितल और प्रकाश चंद जैन, अधिवक्ता।

के. एस. सचदेवा, एक वकील, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21 फरवरी, 1969 को (हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत एक अपील में, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) लंबित भरण-पोषण की राशि और मुकदमे की राशि को कम कर दिया और 26 अक्टूबर 1968 के जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के आदेश द्वारा स्वीकृत व्यय को रु. 300 प्रति माह और रु. 1,000 से रु. 200 प्रति माह और रु. 500 क्रमशः कर दिया, अपीलकर्ता (इसके बाद पत्नी के रूप में संदर्भित) के विद्वान वकील श्री गोकल चंद मित्तल द्वारा पुरजोर आग्रह किया गया है

कि (i) वह भरण-पोषण जिसके लिए पत्नी हकदार है, को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता है कि "वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है", (ii) पति की प्रयोज्य आय की गणना में उसकी सकल आय से कटौती को सामान्य रूप से अनुमति दी जानी चाहिए केवल आयकर आदि जैसी अनिवार्य वसूली के लिए, न कि भविष्य निधि में स्वैच्छिक योगदान या जीवन बीमा प्रीमियम या भविष्य निधि या सरकार आदि से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किश्तों के लिए और वह (iii) अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को भरण-पोषण भत्ता देने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का कोई वारंट नहीं है, जो कि अधिकतम पति की शुद्ध मासिक आय के 1/5 के अधीन है। वकील द्वारा संयोगवश उन परिस्थितियों के बारे में भी तर्क दिए गए हैं जिनमें यह न्यायालय धारा 28 के तहत अपील में उचित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। जहां तक संबंधित मुकदमेबाजी खर्चों या भरण-पोषण भत्ते की मात्रा की उचितता का संबंध है, अधिनियम की धारा 24 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की पालना की जाएगी। ये प्रश्न निम्नलिखित परिस्थितियों में उठे हैं:-

(2) प्रतिवादी से शादी के बाद, पत्नी ने मार्च, 1966 में एक बेटी को जन्म दिया। जून 1968 में, उसने अधिनियम की धारा 10 के तहत उसे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्रदान करने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ एक याचिका दायर की । उसने अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रतिवादी को मुकदमेबाजी आदि के खर्च के रूप में 3,700 रुपये और अपने और अपने बच्चे के लिए भरण-पोषण पेंडेंट लाइट के रूप में 780.50 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए एक आवेदन भी दिया। जिस तरीके से उसने खर्चों की राशि और भरण-पोषण भत्ते की गणना की थी, उसका विवरण उसके आवेदन से जुड़ी अनुसूचियों में दिया गया था। उसने उसके बच्चे के भरण-पोषण के लिए 245 रुपए प्रति माह और रु. 535.50 पैसे खुद के लिए का दावा किया था। शेड्यूल आगे दिखाता है कि उसके द्वारा दावा किए गए मुकदमेबाजी के खर्च में से 1,850 रुपये को मुकदमे के खर्च के रूप में और मुकदमेबाजी से जुड़े आवधिक खर्चों के लिए 1,850 रुपये की एक और राशि के रूप में दिखाया गया था। धारा 24 के तहत दावे का प्रतिवादी द्वारा विरोध किया गया। 26 अक्टूबर, 1968 के अपने आदेश में, विद्वान जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने इस आशय का निष्कर्ष दिया कि पत्नी के पास अपना भरण-पोषण करने के लिए कोई स्वतंत्र आय नहीं थी। उस निष्कर्ष का जिला न्यायाधीश के समक्ष गंभीरता से विरोध नहीं किया गया और उसके बाद किसी भी स्तर पर इसका विरोध नहीं किया गया। जिला न्यायाधीश ने आगे पाया कि पत्नी के हलफनामे में उल्लिखित प्रतिवादी के वेतन (880 रुपये प्रति माह) और प्रतिवादी द्वारा खुद बताए गए वेतन के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। उनका शपथ पत्र (रुपये 850.25 पैसे प्रति माह)। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी को पत्नी को रखरखाव के लिए 300 प्रति माह और मुकदमे के खर्च के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपने द्वारा भुगतान की जाने वाली निर्देशित रकम की मात्रा से असंतुष्ट पति ने विद्वान जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 28 के तहत इस न्यायालय में अपील दायर की।

(3) विद्वान एकल न्यायाधीश जिसने पति की अपील पर सुनवाई की (एफएओ 4-एम 1969) ने 21 फरवरी,1969 के अपने फैसले में कहा, कि पति जो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, रांची में सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के रूप में कार्यरत थे, उन्हें 700 रुपये का मूल वेतन और भत्ता रु. 150 प्रति माह प्राप्त हो रहा था। उन्होंने सितंबर, 1968 में पति को जो वेतन मिल रहा था, उसे ध्यान में रखा, और उनके द्वारा भुगतान किए गए मकान-किराए,

उनके द्वारा किए गए बिजली शुल्क, भविष्य निधि में योगदान और अन्य पर कटौती की अनुमति दी। विविध खर्च 669 रुपये प्रति माह के आंकड़े पर पहुंचे। विद्वान न्यायाधीश ने तब कहा कि "भरण-पोषण देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में कोई परीक्षण निर्धारित नहीं है। हालाँकि, जो सामान्य अनुपात अपनाया जाता है, वह उपयुक्त भत्ते के रूप में पाँचवाँ हिस्सा होता है, फिर भी यह प्रथा रही है, जब पति की आय बड़ी हो, तो अनुपात के प्रश्न पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि एक राशि तय करने के लिए जो जीवन और आवश्यकताओं में पत्नी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त प्रतीत होता है। भरण-पोषण का अवार्ड न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो प्रत्येक मामले में भिन्न हो सकते हैं। चैंबर में विद्वान न्यायाधीश ने इस आधार पर जिला न्यायाधीश के फैसले की आलोचना की कि जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी और उसके बच्चे के लिए भरण-पोषण पेंडेंट लाइट के रूप में 300 रुपए प्रति माह तय करने के लिए कोई कारण नहीं बताया था। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि पत्नी की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया था और किसी भी सकारात्मक सबूत के अभाव में उसके हलफनामे पर पूर्ण भरोसा करना बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया कि पत्नी चंडीगढ़ में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने भरण-पोषण भत्ते की राशि को कम करने में, जिसे घटाकर रु. 200 प्रति माह कर दिया गया, विद्वान न्यायाधीश के दिमाग को काफी प्रभावित किया है, जिसे सिवाय उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के, जिनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, उस कटौती को उचित ठहराने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया है। मुकदमेबाजी के खर्चों के संबंध में, यह देखा गया कि पत्नी के हलफनामे में दिए गए विवरण बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए थे और चूंकि मामले में केवल चार गवाहों की जांच बाकी थी, इसलिए उसकी ओर से वह मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 500 रुपये से अधिक की हकदार नहीं थी।

(4) जबकि श्री मित्तल ने जोरदार तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश को मुकदमेबाजी खर्चों और भरण-पोषण भत्ते की मात्रा के मामले में ट्रायल कोर्ट के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, दूसरी ओर, श्री के.एल. सचदेव ने समान दृढ़ता के साथ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील की कार्यवाही के क्षेत्राधिकार में यह प्रस्तुत किया की हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए गए विवेक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकदमेबाजी के खर्च और भरण-पोषण भत्ते की मात्रा तय करने के मामले में काफी हद तक विवेकाधिकार ट्रायल कोर्ट का है। जहां तक अनुदान का प्रश्न है, न्यायालय के पास व्यावहारिक रूप से कोई विवेकाधिकार नहीं है। यदि अधिनियम के तहत कार्यवाही में यह पाया जाता है कि धारा 24 के तहत आवेदक के पास आवेदक के समर्थन और कार्यवाही के भतीजी के खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो न्यायालय को आम तौर पर ऐसे आवेदन पर विचार करना चाहिए। जीवनसाथी प्रतिवादी को आदेश देता है कि वह आवेदक को कार्यवाही का खर्च और उचित मासिक भत्ता दे। यद्यपि धारा 24 में प्रयुक्त शब्द "हो सकता है" है, यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होगा कि एक न्यायालय यदि इस तरह के भत्ते को देने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं, उस प्रावधान के तहत एक आवेदन देने से इंकार कर देगा। मात्रा के निर्धारण के मामले में, एक ओर मुकदमेबाजी खर्च और दूसरी ओर भरण-पोषण भत्ते के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जहां तक मुकदमेबाजी के खर्चों का सवाल है, अदालत को आम तौर पर "कार्यवाही के खर्चों" के भुगतान का निर्देश देना चाहिए और मुकदमे के बारे में अदालत के अपने विचार का कोई सवाल ही नहीं है! हालाँकि, ऐसे खर्चों के प्रश्न पर निर्णय लेते समय, न्यायालय से आवेदक द्वारा सुझाए गए किसी भी आंकड़े से प्रभावित होने की उम्मीद नहीं की जाती है। ट्रायल कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह अदालत की फीस, न्यायिक कागजात की

लागत, टाइपिंग खर्च, प्रक्रिया शुल्क और गवाहों के लिए आहार राशि, कमीशन शुल्क, कुछ मेडिकल और अन्य विशेषज्ञ, जहां भी ऐसे गवाह की जांच की जानी है और ऐसे मामलों के अभियोजन या बचाव के लिए, की फीस के लिए आवश्यक व्यय की राशि, को जाने। एक बार जब अदालत को पता चलता है कि आवेदक के पास कार्यवाही के आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो मुकदमेबाजी खर्चों की उचित राशि की तर्कसंगतता का निर्धारण करने के मामले में उसके पास कोई विवेक नहीं है।

(5) हालाँकि, मासिक रखरखाव भत्ते की राशि ऐसी किसी कठोरता के साथ तय नहीं की जा सकती। इस धारा में न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यवाही के दौरान ऐसी राशि का मासिक भुगतान करने का निर्देश दे, जिसे वह "याचिकाकर्ता की स्वयं की आय और प्रतिवादी की आय" को ध्यान में रखते हुए उचित समझे। धारा 24 के इस विश्लेषण से पता चलता है कि वैधानिक प्रावधान ऐसा कहता है की प्रतिवादी की आय के किसी निश्चित अनुपात पर पहुंचने के लिए न्यायालय को कोई गणितीय गणना करने की आवश्यकता नहीं है। मासिक भत्ता तय करने के मामले में, पहली बात जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या ऐसे भत्ते के लिए आवेदक के पास अपने स्वयं के समर्थन के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय है या नहीं। यदि न्यायालय को पता चलता है कि आवेदक के पास उसके समर्थन के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय है, तो उसे धारा 24 के तहत कोई मुख्य-भत्ता देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि, एक बार, यह पाया गया कि धारा 24 के तहत आवेदक के पास उसके समर्थन के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो अदालत को मासिक भत्ते की मात्रा तय करने के लिए जांच शुरू करनी चाहिए। उस उद्देश्य के लिए, देखी जाने वाली पहली चीज़ प्रतिवादी की आय है। आवेदक के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए प्रतिवादी की सकल आय को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। रखरखाव की राशि की गणना के मामले में सकल आय को अलग रखना होगा और प्रतिवादी की प्रयोज्य आय को ध्यान में रखना होगा। प्रयोज्य आय सकल आय से केवल व्यय की उन मदों को घटाकर निकाली जाती है जिन पर प्रतिवादी का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है जैसे प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर आदि। प्रयोज्य आय की गणना करने में, प्रतिवादी के घर को चलाने, घर का किराया या बिजली या पानी के शुल्क का भुगतान करने, उसके घरेलू नौकरों के वेतन का भुगतान करने, जीवन बीमा का भुगतान करने के संबंध में, प्रीमियम या स्वैच्छिक बचत जैसे भविष्य निधि या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आदि की खरीद के लिए सकल आय से कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। हम डॉ. योगिंदर पाल सोनी बनाम श्रीमती पद्मा सोनी[1] में न्यायधीश गुजराल की टिप्पणियों से सहमत हैं, कि पत्नी को भरण-पोषण के रूप में देय राशि की गणना करने से पहले केवल अनिवार्य जमा की कटौती की जानी चाहिए, न कि स्वैच्छिक जमा की, क्योंकि स्वैच्छिक भुगतान जैसे बीमा प्रीमियम और भविष्य निधि में योगदान आदि, संबंधित व्यक्ति की बचत है जिसे वह अपनी इच्छानुसार घटाने या बढ़ाने के लिए खुला है। हम डॉ. योगिंदर पाल सोनी के मामले (1) में विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों से भी सहमत हैं, इस आशय से कि यदि ऐसी स्वैच्छिक कटौतियों को प्रतिवादी को देय राशि की गणना करने से पहले कटौती करने की अनुमति दी गई थी तो पत्नी के लिए यह बड़ी कठिनाई का कारण बन सकता है क्योंकि अपने वेतन से भविष्य निधि या जीवन बीमा प्रीमियम में बड़ा योगदान देकर पति पत्नी को अपनी आय में उचित लाभ से वंचित कर सकता है।

(6) वर्तमान मामले में, पति ने 3 फरवरी 1971 को अपना हलफनामा हमारे सामने दायर किया है, जिसमें उसने शपथ ली है कि वह हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। उस शपथ पत्र के

[1] I.L.R. (1972) II Pb. And HR. 687. 1970 P.L.R. 878

साथ उन्होंने जनवरी, 1968 से दिसंबर, 1970 तक उन्हें प्राप्त वेतन का विवरण देते हुए एक विवरण संलग्न किया है। विस्तृत विवरण में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, परियोजना भत्ता दर्शाया गया है। और उसके द्वारा प्राप्त सकल वेतन और घर का किराया, बिजली की खपत शुल्क, आयकर, भविष्य निधि योगदान, दीर्घकालिक ऋण के कारण कटौती और स्रोत पर उसके द्वारा किए गए विविध खर्च। उस कथन से पता चलता है कि सितंबर, 1968 में उनकी कुल परिलब्धियाँ रुपए 850.25 पैसे थी जिसमें से एकमात्र अनिवार्य कटौती रुपये की थी। आयकर के कारण प्रति माह 40 रु. उनके द्वारा दिखाई गई अन्य राशियों में रु. 83.13 पैसे प्रति माह घर का किराया और बिजली शुल्क। दिसंबर, 1970 में उनकी सकल परिलब्धियाँ रु. 1,007.70 पैसे प्रति माह जिसमें से आयकर की अनिवार्य कटौती रु. केवल 50 प्रति माह। इसलिए, तत्काल मामले में पति की वर्तमान प्रयोज्य आय 900 प्रति माह रुपये से अधिक है। सितंबर, 1968 में उनकी प्रयोज्य आय लगभग रु. 810 प्रति माह।

(7) जैसे ही पति की प्रयोज्य आय निर्धारित हो जाती है, तब न्यायालय यह पता लगाता है कि इसमें से कितनी उचित राशि होनी चाहिए, जो पत्नी को कार्यवाही के दौरान स्वयं को बनाए रखने के लिए मिलनी चाहिए। उस राशि की गणना के लिए, कुछ खर्चों को उचित ठहराने के लिए पति की स्थिति को ध्यान में रखना होगा जो एक विशेष स्थिति के व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगा लेकिन दूसरी स्थिति वाले व्यक्ति के लिए अनावश्यक होगा। इसी प्रकार, आवेदक की अन्य परिस्थितियों जैसे कि एक नवजात शिशु को बनाए रखने की उसकी आवश्यकता, जैसा कि वर्तमान मामले में है, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत बच्चा भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकता है और केवल दोनों पति-पत्नी में से कोई एक ही दावा कर सकता है। साथ ही, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान एक बच्चे के भरण-पोषण के लिए दावा किया जा सकता है और न्यायालय अधिनियम की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में समय-समय पर ऐसे अंतरिम आदेश पारित करें, जो नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के संबंध में उचित और उचित हों, जहां भी संभव हो, उनकी इच्छाओं के अनुरूप। लेकिन भले ही धारा 26 के तहत कोई आवेदन न किया गया हो और एक पत्नी धारा 24 के तहत आवेदन करती है और दावा करती है है कि जिस राशि की उसे खुद के भरण-पोषण के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है, उसमें उसके नवजात बच्चे के लिए आवश्यकताओं का प्रावधान भी शामिल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रावधान के तहत भत्ते की मात्रा तय करने में इसे ध्यान में रखा जा सकता है। वर्तमान मामले में पत्नी का दावा स्वयं के लिए रुपए 535.50 पैसे प्रति माह और रु. 245 उसके बच्चे के भरण-पोषण के लिए के लिए है और इसमें कोई संदेह नहीं है की हमें उच्च स्तर पर गलती होती दिखाई देती है। विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा गठित रु. 300 प्रति माह का अनुमान काफी उचित प्रतीत होता है। ट्रायल कोर्ट, जिसे किसी कार्यवाही में पक्षकारों, उनके तरीके और जीवन स्तर तथा पक्षकारों के आचरण को देखने का लाभ होता है, आमतौर पर यह निर्णय लेने की बेहतर स्थिति में होता है कि मामले में किसी दिए गए परिस्थितियों में क्या होगा। अधिनियम की धारा 24 के तहत आवेदक को अवॉर्ड देने का कारण-योग्य होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि एक अपीलीय अदालत मात्रा के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन चीजों की प्रकृति में ऐसा हस्तक्षेप, केवल उन मामलों तक ही सीमित होना चाहिए जहां विवेकाधिकार मुकदमे में निहित है न्यायालय द्वारा धारा 24 का प्रयोग ठोस न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया गया है या जिस तरीके से रखरखाव या मुकदमेबाजी व्यय की मात्रा की गणना की गई है उसमें कुछ स्पष्ट त्रुटि है। अपीलीय अदालतें भी इस प्रकार के आदेशों में हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करेंगी, जहां

मात्रा तय करने के मामले में निचली अदालत का पूरा दृष्टिकोण गलत या स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है या इसके परिणामस्वरूप गंभीर अन्याय हुआ है।

(8) वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने भरण-पोषण भत्ता 300 रुपए प्रति माह से रु. 200 प्रति माह कम कर दिया है। क्योंकि उसने सोचा कि धारा 24 के तहत तय की जाने वाली राशि पति की आय का लगभग पांचवां हिस्सा होना चाहिए, जो व्यावहारिक हो। यह देखा जा सकता है कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान में धारा 24 के तहत आवेदक को भुगतान की जाने वाली भरण-पोषण की राशि पर ऐसी कोई सीमा तय नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सीमा का विचार भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 36 के कारण कुछ निर्णयों में आयात किया गया है। वह प्रावधान इस प्रकार है: –

"36. इस अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमे में, चाहे वह पति या पत्नी द्वारा दायर किया गया हो, और चाहे उसने सुरक्षा का आदेश प्राप्त किया हो या नहीं, पत्नी मुकदमा लंबित रहने तक गुजारा भत्ता के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकती है।ऐसी याचिका पति पर तामील की जाएगी; और न्यायालय, उसमें दिए गए बयानों की सत्यता से संतुष्ट होने पर, मुकदमा लंबित रहने के दौरान पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पति पर ऐसा आदेश दे सकता है जैसा कि वह उचित समझे: बशर्ते कि मुकदमे के लंबित रहने पर गुजारा भत्ता किसी भी स्थिति में आदेश की तारीख से अगले तीन वर्षों के लिए पति की औसत शुद्ध आय के पांचवें हिस्से से अधिक नहीं होगा, और विवाह विच्छेद या विवाह की शून्यता के लिए, डिक्री के मामले में जारी रहेगा, जब तक कि डिक्री पूर्ण न हो जाए या इसकी पुष्टि न हो जाए, जैसा भी मामला हो। अधिनियम की धारा 24, जिसके साथ हम संबंधित है, निम्नलिखित शब्दों में है: –

"24. जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में अदालत को यह प्रतीत होता है कि पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, के पास उसके समर्थन और कार्यवाही के आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है* यह, पत्नी या पति के आवेदन पर, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को कार्यवाही के खर्चों का भुगतान करने का आदेश दे सकता है, और कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता की अपनी आय को ध्यान में रखते हुए और प्रतिवादी की आय, यह अदालत को उचित लग सकता हैमासिक राशि का भुगतान कर सकता है।

दोनों प्रावधानों के बीच अंतर के विभिन्न बिंदु हैं।

जबकि भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 36 के तहत केवल पत्नी ही भरण-पोषण का दावा कर सकती है, यहां तक कि एक पति भी अधिनियम की धारा 24 के तहत इस तरह के भत्ते का दावा कर सकता है। जबकि भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 36 के तहत भत्ता देने की अदालत की शक्ति को पत्नी द्वारा खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं होने के निष्कर्ष पर सशर्त नहीं बनाया गया है, ऐसी शर्त मिसाल के तौर पर अभ्यास से जुड़ी हुई है। अधिनियम की धारा 24 के तहत क्षेत्राधिकार का. तीसरा भेद वह है जिससे हमारा सीधा संबंध है। भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 36 अदालत के अधिकार क्षेत्र को सीमित करती है कि वह पति की कुल आय का पाँचवें से अधिक हिस्सा पत्नी को न दे। यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम पारित होने से पहले भारतीय तलाक अधिनियम लंबे समय से लागू था, विधानमंडल ने सचेत रूप से और जानबूझकर भत्ते में ऐसी कोई सीमा लगाने से परहेज किया जिसे अधिनियम की धारा 24 के तहत तय किया जा सके। इसलिए, हम अधिनियम की धारा 24 के तहत रखरखाव की मात्रा पर ऐसी सीमा लगाने के लिए कोई भी औचित्य खोजने में असमर्थ हैं जो पति/पत्नी को

स्वीकार्य हो। ऐसा करना कानून बनाने जैसा होगा जो न्यायालयों का कार्य नहीं है और जिसका कार्य उन लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिन्हें राष्ट्र यह कार्य सौंपता है। प्रतिमा बोस बनाम कमल कुमार बोस[2] में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा यह देखा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम में अधिकतम गुजारा भत्ता के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। भरण-पोषण की उचित राशि निर्धारित करने में न्यायालय में निहित विवेक को भारतीय तलाक अधिनियम के सिद्धांतों के आयात द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने आगे कहा कि रखरखाव के मूल्यांकन के मामले में कोई कठोर नियम नहीं होना चाहिए और प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए। फैसले में यह भी कहा गया कि भरण-पोषण की राशि में पत्नी द्वारा अपने बच्चे के भरण-पोषण और शिक्षा के लिए आवश्यक राशि भी शामिल हो सकती है। हम प्रतीमा बोस के मामले (2) में कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच की उपरोक्त सभी टिप्पणियों से सम्मानजनक सहमत हैं। मुल्ला के 'हिन्दू लॉ' (सुन्दरलाल टी.देसाई द्वारा लिखित तेरहवां संस्करण) में पृष्ठ 730-731 पर इस प्रकार कहा गया है: –

"इस विषय पर वर्तमान धारा (धारा 24) के तहत कोई भी निर्णय गुजारा भत्ता आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए और प्रश्न पर किसी निश्चित नियम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सामान्य या छोटी आय के मामले में भारत में कुछ अदालतों द्वारा अपनाया गया एक मोटा कामकाजी नियम कुछ समान कानून के तहत पति और पत्नी की कुल आय का एक-तिहाई हिस्सा घटाकर पत्नी की राशि का आकलन करना है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस धारा के तहत निर्धारण के लिए आने वाले मामलों में कोई डेटाम लाइन नहीं हो सकती है, लेकिन यह मोटा कामकाजी नियम अधिनियम के तहत कार्यवाही में अंतरिम रखरखाव की राशि तय करने में कुछ उपयोगी हो सकता है। बहुत बड़ी आय के मामले में अदालत मामले में अपने विवेक का प्रयोग करने में किसी भी काल्पनिक नियम पर ध्यान नहीं देगी और अनुपात कम हो सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दिए जाने वाले अनुपात के संबंध में रखरखाव में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है और पहले यह तय करना कि अनुपात क्या होना चाहिए और फिर अन्य प्रासंगिक की जांच करना एक त्रुटि होगी। अदालत मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी और अनुभाग में उल्लिखित कारकों पर विशेष ध्यान देते हुए उचित समाधान पर पहुंचेगी।

इंग्लैंड में प्रथा का उल्लेख करते हुए, विद्वान लेखक पृष्ठ 731-732 पर निम्नानुसार लिखते हैं -

> "जहां पक्ष सहमत होने में असमर्थ हैं, पत्नी को आवंटित गुजारा भत्ता की राशि का सामान्य अनुपात है -पति-पत्नी की कुल आय का एक-पाँचवाँ हिस्सा पत्नी की आय से कम। हालाँकि, इंग्लैंड में हालिया प्रवृत्ति ऐसे किसी भी कठोर अंकगणितीय नियम पर जोर देने की नहीं है, बल्कि पति की प्रयोज्य आय और पत्नी की आय को ध्यान में रखकरपक्षकारों के आचरण सहित मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद राशि का आकलन करने की है।

(9) धारा 24 के तहत एक पत्नी जिस भरण-पोषण की हकदार हो सकती है, उसकी गणना के लिए, हमें मुल्ला द्वारा बताए गए मोटे कामकाजी नियम को लागू करने में कोई नुकसान नहीं दिखता है, जिसे भारत में कुछ न्यायालयों द्वारा पति-पत्नी की कुल आय में से पत्नी की आय घटाकर एक-तिहाई राशि का आकलन करने का

[2] 68 C.W.N 317

कानून के अनुरूप के तहत अपनाया गया है। । यह कामकाजी नियम सामान्य मामलों में जहां पति की सामान्य आय लगभग रु 1,000 प्रति माह है, वहां एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है। जब यह देखा गया है, जैसा कि मुल्ला के 'हिन्दू लॉ' में देखा गया है, कि इंग्लैंड में भी, जहां पत्नी को पति की कुल आय का पांचवां हिस्सा देने का मार्गदर्शक नियम उत्पन्न हुआ, सबसे हालिया प्रवृत्ति है ऐसे किसी भी कठोर अंकगणितीय नियम पर जोर न दें, बल्कि पति की प्रयोज्य आय और पत्नी की आय को ध्यान में रखें और सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राशि का आकलन करें। मामले में, हमें धारा 24 में ऐसी सीमा जोड़ने का कोई औचित्य नजर नहीं आता जिसे विधायिका, अपने विवेक से, तय नहीं करना चाहती थी। इसलिए, हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 24 के तहत, अदालत में निहित विवेकाधिकार पर, पत्नी को दी जाने वाली अधिकतम भरण-पोषण की कोई भी बाध्यता थोपने का कोई वारंट नहीं है।

(10) आवेदक को उसके भरण-पोषण के लिए यथोचित आवश्यक कुल राशि के बारे में निर्णय लेने के बाद, अदालत उसमें से आवेदक की शुद्ध आय की राशि काट लेगी। यह इस प्रकार निकाले गए आंकड़े की तर्कसंगतता है जिस पर धारा 24 के तहत निर्देश जारी करने से पहले न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

(11) एकमात्र अन्य विचार जो विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रेरित करता प्रतीत होता है की रखरखाव की मात्रा को कम करने के लिए पत्नी को देय तथ्य यह है कि पत्नी स्वीकार्य रूप से चंडीगढ़ में अपने माता-पिता के साथ रह रही है। यहां तक कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने भी स्वीकार किया कि माता-पिता पर अपनी विवाहित बेटियों का भरण-पोषण करने का कोई दायित्व नहीं है। एक पत्नी जो अधिनियम के तहत कार्यवाही के दौरान अपने पति के साथ रहने में असमर्थ है, उससे भरण-पोषण के दावे को उचित ठहराने के लिए सड़क पर रहने की उम्मीद नहीं की जाती है, जिसमें आम तौर पर एक उचित राशि जो उसे कुछ आश्रय खोजने के लिए खर्च करनी होगी, शामिल होनी चाहिए। । अदालतों को इस तथ्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि कुछ अपवादात्मक मामलों को छोड़कर एक हिंदू पत्नी आमतौर पर अपने पति का घर नहीं छोड़ती है और अपने वैवाहिक घर को छोड़ने के बाद अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए कभी उत्सुक नहीं होती है। मुकन कुँवर बनाम अजीतचंद[3] , में न्यायधीश जगत नारायण द्वारा, कुछ ऐसे कारकों की गणना की गई है जो अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आवेदक को भरण-पोषण भत्ते और कार्यवाही के खर्च से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन कारकों में से एक यह बताया गया था कि आवेदक को उसके पिता द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी माना कि यह तथ्य कि पत्नी अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही थी, उसे लंबित गुजारा भत्ते से वंचित करने का कोई आधार नहीं था। हमारे पास भी वे टिप्पणियाँ हैं। उसी प्रभाव के लिए एन. सुब्रमण्यम बनाम श्रीमती एम.जी.सरस्वती[4] में मैसूर उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच की टिप्पणियाँ हैं। वहां यह माना गया कि न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे सकता है कि पिता उसका समर्थन कर रहा है और उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा है और यह केवल पत्नी की स्वतंत्र आय है जिसे ध्यान में रखा जा सकता है। उस मामले में यह भी देखा गया कि पिता या पत्नी के अन्य रिश्तेदारों द्वारा प्रदान की गई मदद अपने स्वभाव में ऐसे व्यक्ति की इच्छा पर आधारित होती है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिला न्यायाधीश ने पत्नी को पति की खर्च करने योग्य आय का लगभग एक-तिहाई हिस्सा देने का फैसला सुनाया था। पति की वर्तमान

---

[3]

[4] A.I.R. 1964 Mysore 38.

परिलब्धियों के अनुसार रु. 300 प्रति माह वास्तव में हमारे द्वारा गणना की गई उसकी डिस्पोजेबल आय के एक तिहाई से भी कम है। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं कि इस राशि में से, पत्नी को अपने नवजात बच्चे का भरण-पोषण करना होता है, जिसके लिए प्रतिवादी अलग से पत्नी को कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है। दोनों विचार जो विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ तौले गए, जैसे (1) धारा 24 के तहत देय अधिकतम राशि प्रतिवादी की आय का पांचवां हिस्सा है और (2) चंडीगढ़ में अपने माता-पिता के साथ रहने वाली पत्नी के पर विचार ,हमारे द्वारा प्रासंगिक नहीं पाए जाने पर, भरण-पोषण की राशि कम करने वाले विद्वान न्यायाधीश के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(12) जहां तक मुकदमेबाजी के खर्चों का सवाल है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है की 1,000 रुपये से रु. 500 की राशि की कटौती को कायम रखना सही होगा। क्योंकि पत्नी को ट्रायल कोर्ट में केवल चार और गवाह पेश करने हैं, हमारी राय में, विचाराधीन मुकदमेबाजी पर उसके द्वारा पहले से ही किए गए खर्चों की अनदेखी को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उसने उन दरों का विवरण दिया है जिन पर वह ट्रायल कोर्ट में अपने वकील को भुगतान कर रही है। उसने अदालती फीस और टाइपिंग शुल्क आदि पर हुए खर्च का विवरण भी दिया है। उसके वकील ने हमें रुपये की रसीद दिखाई। कमीशन शुल्क के कारण 100 रु. कमीशन पर एक ऐसे गवाह की जांच करने के लिए पति के वकील को 50 रुपये का भुगतान किया गया जो अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। विद्वान एकल न्यायाधीश ने राशि कम करने का कोई कारण नहीं बताया है। पत्नी द्वारा अपने आवेदन के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित खर्चों की प्रत्येक मद से निपटने और यह पता लगाने से कि खर्च क्या होना चाहिए था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राशि को कम किया जा सकता है। आम तौर पर, एक अच्छा वकील लगभग रु. 1,000 का शुल्क लेगा। ट्रायल कोर्ट में अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए यह तथ्य कि पत्नी ने जून, 1968 में याचिका प्रस्तुत की थी, जिसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी को दर्शाता है जिसका पत्नी को सामना करना पड़ता है। मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1,000 रुपये की राशि जो जिला न्यायाधीश द्वारा मुकदमेबाजी खर्च के रूप में तय किया गया था, वह पत्नी के वास्तविक खर्चों का एक उचित अनुमान था और किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं था।

(13) उपरोक्त कारणों से, हम अपील करने की अनुमति देते हैं , और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को अलग रखें और विद्वान जिला न्यायाधीश के आदेश को बहाल करें। परिणामस्वरूप, पत्नी कुल 1000रु. की राशि के भुगतान की हकदार होगी। वह ट्रायल कोर्ट के मुकदमे के खर्च के रूप में अपने पति से 1,000 रुपये और जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामले के निपटान तक उसके आवेदन की तारीख से 300 रुपये प्रति माह प्राप्त करने की हकदार होगी। निश्चित रूप से, पति उस राशि के क्रेडिट का हकदार होगा जो उसने पहले ही उसे भरण-पोषण के लिए और ट्रायल कोर्ट में किए गए खर्चों के लिए भुगतान कर दिया है। इस न्यायालय में अपीलकर्ता की लागत का वहन प्रतिवादी द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा